



Neutral Citation No.- 2026:AHC:16634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-2199 वर्ष 2026

जितेंद्र @ भाटे

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकुल कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। यह दूसरी ज़मानत याचिका है। इस न्यायालय द्वारा सी.एम.बी.ए. संख्या 29728 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 28.8.2025 के आदेश द्वारा पहली ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
2. श्री सतीश शर्मा, अधिवक्ता श्री मुकुल कुमार, आवेदक के अधिवक्ता के साथ-साथ श्री राम मोहित यादव, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 147, 302, 149, 201 भ०द०वि० के तहत थाना - बाबूपुरवा, जिला - कानपुर नगर, मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले में ज़मानत की मांग की।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कैद की अवधि को छोड़कर ज़मानत के लिए कोई नया आधार नहीं रखा है, जो दो साल से अधिक है क्योंकि वह 2.9.2023 से जेल में है। अधिवक्ता ने कहा है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि पहले से ही छह गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

6. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

7. चूंकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा कोई नया आधार नहीं लाया जा सका और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इसलिए मुझे यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

8. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 22, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!